न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 33/97 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-

1. इदरीश
2. हनीफ
3. मेहरदनी पुत्रान मवासी जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---प्रतिवादीगण अपीलांटस

बनाम

1 मलूकसिंह उर्फ इसब पुत्र धोताली जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर (मृतक)

1/1 खुशी खां पुत्र मलूकसिंह उर्फ ईसब (मृतक)

1/1/1 खुर्शीद

1/1/2 जमशेद

1/1/3 जाकर

1/1/4 हारून

1/1/5 फकरूद्दीन पुत्रान खुशीखां

1/1/6 गफूरन स्त्री खुशीखां

1/2 दीनू

1/3 शेरमौहम्मद

1/4 इलियास पुत्रान मलूकसिंह उर्फ ईसब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1/5 इल्ली स्त्री मलूकसिंह उर्फ ईसब जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तह0 तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- वादीगण असल रेस्पो0

2 मुन्शी पुत्र धोताली जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

2/1 हुरमती

2/2 हस्सू पुत्रीयान मुन्शी

2/3 मंगल

2/4 हमीदा पुत्रान मुन्शी

3 ख्वासी पुत्र धोताली जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तह0 तिजारा

4 देवेन्द्र

5 श्रीपाल

6 कर्मवीर पुत्रान मंगलराम जाति अहीर निवासी मानेसर तहसील व जिला गुडगांवा हरियाणा

:--प्रतिवादीगण तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, तिजारा दिनांक 5.2.97

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 25.03.2021

------ ------------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/7/94 अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 5.2.97 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मलूकसिंह उर्फ ईसब ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 232 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 61 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, 101/2 मिन रकबा 06 बिस्वा, 101 मिन रकबा 09 बिस्वा, 93 रकबा 01 बीघा, 95 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 122 मिन रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, 62 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 96 मिन रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, 115 मिन रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, 66 रकबा 14 बिस्वा, 67 रकबा 12 बिस्वा, 96 मिन रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, 115 मिन रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पाटनखुर्द तहसील तिजारा है, जिसके हाल बंदोबस्त में खसरा नम्बर 109, 113, 114, 137, 138, 141, 144, 145, 146, 171, 172, 178, 179, 267, 316, 330, 335, 59 बने है । यह आराजीयात मृतक धोताली पुत्र बस्सा मेव की कब्जे काश्त खातेदारी की थी । जमाबन्दी सम्वत 2017 में उसके नाम का अंकन हो रहा है । मृतक धोताली वादी तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 का पिता, प्रतिवादीगण संख्या 3 ला0 5 का दादा तथा प्रतिवादी नम्बर 06 का ससुर था । वादी मृतक धोताली का पुत्र है, जिसके नाम साबिक रेकार्ड में अमल हो रहा है । ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2021 प्रस्तुत है । प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 तथा मृतक मवासी ने सैटिलमैंट विभाग के कर्मचारीगण से मिल्लत करके जमाबन्दी सम्वत 2029 में तन्हा अपने नाम का अमल करा लिया, जिस इन्द्राज की आज तक पुनरावृत्ति होती रही है । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । सम्पूर्ण भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है । विवादित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट प्रतिवादी ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । हमने कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर में विचाराधीन अपील में वकील नियुक्त किया, किन्तु उन्होंने हमको बताये बिना तहत अदालत में मौजूदा प्रकरण में अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया और इकतरफा करा ली । पटवारी हल्का के माध्यम से हमको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद है । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आराजी ख्वासी की स्वयं की कब्जे काश्त पटटे की आराजी थी । तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा ने कीमत कर्जा जमा करवाकर ख्वासी को पटटा जारी किया था । इस पटटे के खिलाफ मलूकसिंह ने कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर के यहां अपील प्रस्तुत की थी, जो खारिज हो गई थी और पटटा सही जारी होना माना । ऐसी स्थिति में मौजूदा वाद कानूनन चलने योग्य नहीं था । विवादित आराजी के हम व तरतीबी रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है और काबिज हैं । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । अदालत हाजा की पत्रावली पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । अपील संख्या 94/1993 कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर के न्यायालय में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा के आदेश दिनांक 3.2.93 के खिलाफ मलूकसिंह ने प्रस्तुत की थीं, जो अपील निर्णय दिनांक 29.11.95 के द्वारा खारिज की गई थी तथा ख्वासी के पक्ष में सनद जारी किये जाने का आदेश दिनांक 3.2.93 बहाल रखा गया था तथा ख्वासी का कब्जा होना माना । उक्त निर्णय दिनांक 29. 11.95 में न्यायालय कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर ने सम्पूर्ण विवेचना करते हुये माना है कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 एवं 2019 में धौताली को पटटेदार दर्ज किया हुआ है, परन्तु काश्त ख्वासी व मवासी की दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत 2045 के खाना नम्बर 04 में ख्वासी, मुंशी व मवासी पुत्रान धौताली पटटेदारान का अंकन है । इन सबसे सिद्ध है कि सन 1958 में विवादित भूमि काश्त हेतु अस्थाई पटटे पर धौताली पुत्र बक्सा तथा मुं शी व मवासी पुत्रान धौताली को दी थी । धौताली के मरने के बाद ख्वासी, मुंशी, मवासी पुत्रान धौताली को पटटा जारी किया गया था । ख्वासी को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पटटा जारी करने से पूर्व अन्य हिस्सेदारान को नोटिस भी जारी किये गये थे, परन्तु कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं हुई । पटवारी रिपोर्ट में 1/3 भाग पर ख्वासी का कब्जा बताया गया है । उपरोक्त विवेचन करते हुये कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर ने ख्वासी के पक्ष में जारी सनद को बहाल रखते हुये मलूकसिंह की अपील को खारिज किया है ।

7 पत्रावली का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन करने से सिद्ध होता है कि विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि थी, जिसकी कीमत कर्जा जमा करवाकर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर ,तिजारा ने ख्वासी के पक्ष में सनद जारी की थी, जिसकी अपील मलूकसिंह पुत्र धौताली ने न्यायालय कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमि श्नर, अलवर में अपील प्रस्तुत की, जो खारिज कर दी गई तथा ख्वासी का पटटा बहाल रखा । जब मलूकसिंह की पटटे के खिलाफ प्रस्तुत की गई अपील खारिज हो गई थी तो ऐसी स्थिति में उसे वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । जहां तक कानूनी बिन्दू का सवाल है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का विनम्र मत है कि विवादित भूमि कस्टोडियन थी, जिसकी कीमत कर्जा जमा करवाकर ख्वासी ने पटटा लिया था । कस्टोडियन भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती । ऐसी भूमियों की कस्टोडियन नियमों के तहत कीमत कर्जा जमा करवाकर सनद जारी की जाती है । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया और धारा 88 टिनेंसी एक्ट का वाद पत्र डिक्री कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.2.1997 निरस्त किये जाते हैं ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 33/97 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. इदरीश

2. हनीफ

3. मेहरदनी पुत्रान मवासी जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---प्रतिवादीगण अपीलांटस

बनाम

1 मलूकसिंह उर्फ इसब पुत्र धोताली जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर (मृतक)

1/1 खुशी खां पुत्र मलूकसिंह उर्फ ईसब (मृतक)

1/1/1 खुर्शीद

1/1/2 जमशेद

1/1/3 जाकर

1/1/4 हारून

1/1/5 फकरूद्दीन पुत्रान खुशीखां

1/1/6 गफूरन स्त्री खुशीखां

1/2 दीनू

1/3 शेरमौहम्मद

1/4 इलियास पुत्रान मलूकसिंह उर्फ ईसब

1/5 इल्ली स्त्री मलूकसिंह उर्फ ईसब जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तह0 तिजारा जिला अलवर राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

:---- वादीगण असल रेस्पो0

2 मुन्शी पुत्र धोताली जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

2/1 हुरमती

2/2 हस्सू पुत्रीयान मुन्शी

2/3 मंगल

2/4 हमीदा पुत्रान मुन्शी

3 ख्वासी पुत्र धोताली जाति मेव निवासी पाटनखुर्द तह0 तिजारा
4 देवेन्द्र
5 श्रीपाल
6 कर्मवीर पुत्रान मंगलराम जाति अहीर निवासी मानेसर तहसील व जिला गुड़गांवा हरियाणा

:--प्रतिवादीगण तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, तिजारा दिनांक 5.2.97

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- उपस्थित नहीं ।

पर्चा डिक्री दिनांक 25.03.21

------ -------------

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.2.1997 निरस्त किये जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर